



भारत का राजपत्र  
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25042022-235341  
CG-DL-E-25042022-235341

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 298]  
No. 298]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 25, 2022/वैशाख 5, 1944  
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 25, 2022/VAISAKHA 5, 1944

वस्त्र मंत्रालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2022

सा.का.नि. 312(अ).—केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम 1948 (1948 का 61) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय रेशम बोर्ड (समेकित) भर्ती नियम 1989 के अधिक्रमण में, जहां तक यह निदेशक के पद से संबंधित है, उन बातों के सिवाए अधिक्रमण करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, केन्द्रीय सरकार, वस्त्र मंत्रालय, केंद्रीय रेशम बोर्ड में निदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वस्त्र मंत्रालय, केंद्रीय रेशम बोर्ड, निदेशक (समूह 'क' पद) भर्ती नियम 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि - उक्त पद पर भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातों वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हता - वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा।	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य योग्यताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
निदेशक	10* (2022) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह-क अननुसचिवी य	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13- (रु.123100- 215900)	चयन	पचास वर्ष से अधिक नहीं।  (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)  टिप्पण:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। ( न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)  टिप्पण:- रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह	अनिवार्य: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कीट विज्ञान या प्राणी विज्ञान या कृषि या वनस्पति विज्ञान या रेशम उत्पादन या जैव रसायन या जैव प्रौद्योगिकी या सूक्ष्म जीव विज्ञान या वानिकी या फाइबर विज्ञान या वस्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि, न्यूनतम बारह वर्ष का अनुसंधान अनुभव जिसमें से पांच वर्ष वैज्ञानिक-डी. वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (रु. 78800 - 209200) की क्षमता में होना चाहिए।  टिप्पण: विशेष क्षेत्र जिसमें डॉक्टरेट की उपाधि या अनुभव की आवश्यकता है, हर बार रिक्ति अधिसूचित होने पर विनिर्दिष्ट किया जाएगा। यदि किसी अन्य विषय या विशेषज्ञता में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी रखने वाले उम्मीदवार पद के लिए आवेदन करते हैं, तो उक्त विषय की समकक्षता या विज्ञापित विषय या विशेषज्ञता के साथ समानता को संबंधित विश्वविद्यालय या संगठन से सत्यापित किया जाएगा जिसने प्रमाण पत्र जारी किया है।

				अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	टिप्पण 1 : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में केंद्रीय सरकार के विवेक पर योग्यता में छूट दी जा सकती है। टिप्पण 2 : अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में अनुभव संबंधी योग्यताओं में केंद्रीय सरकार के विवेक पर छूट दी जा सकती है यदि चयन के किसी भी स्तर पर केंद्रीय सरकार की यह राय है कि इनमें से पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार अपेक्षित अनुभव रखने वाले समुदायों के उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता प्रोन्नति के मामले में लागू होगी।	परिवीक्षा की अवधि ,यदि कोई	भर्ती की पद्धति चाहे सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की जाती है ,तो बे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हैं तो ,उसका गठन क्या है।	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
आयु :प्रोन्नति के लिए लागू नहीं।  योग्यता :प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए लागू।	सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष।  टिप्पण : केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार परिवीक्षा अवधि के सफल समापन के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश	(1) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा; और (ii) पचास प्रतिशत, सीधी भर्ती द्वारा, ऐसा नहीं होने पर केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा। टिप्पण 1: निदेशक पद के लिए पचास प्रतिशत सीधी भर्ती कोटा के अधीन उम्मीदवारों के चयन की विधि चयन समिति द्वारा तय की जाएगी	प्रोन्नति: वैज्ञानिक डी में से उस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ। (वैज्ञानिक डी प्रोन्नति के लिए पात्र होने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा विचार के लिए स्तंभ सं. (7) में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित किसी भी विषय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री होनी चाहिए।) टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक	(1) (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित शामिल हैं। 1. सदस्य सचिव, केंद्रीय रेशम बोर्ड-अध्यक्ष 2. प्रशासनिक मंत्रालय में निदेशक या उप सचिव- सदस्य 3. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय	लागू नहीं।

	<p>प्रशिक्षण होगा।</p> <p>जिसमें व्यक्तिगत साक्षात्कार भी शामिल होगा।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रोन्नत व्यक्ति द्वारा रिक्त पद को विभागीय प्रोन्नति द्वारा और सीधी भर्ती किए गए व्यक्ति द्वारा रिक्त पद को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा। तथापि जरूरत पड़ने पर प्रशासनिक मंत्रालय पचास प्रतिशत अनुपात को प्रभावित किए बिना सीधी भर्ती से विभागीय प्रोन्नति तथा विभागीय प्रोन्नति से सीधी भर्ती में परिवर्तित करने के लिए अनुमति दे सकता है।</p>	<p>या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या सांविधिक या स्वायत्त संगठनों या सार्वजनिक उपक्रमों या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी जो, (क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हैं; या (ii) वेतन मैट्रिक्स (रु.78800-209200) के स्तर 12 में पांच वर्ष की नियमित सेवा या समकक्ष और (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कीट विज्ञान या प्राणी विज्ञान या कृषि या वनस्पति विज्ञान या रेशम उत्पादन या जैव रसायन, जैव प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, वानिकी, फाइबर विज्ञान या वस्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि रखते हैं।</p> <p><b>टिप्पणी 1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पणी 2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पणी 3:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति</p>	<p>से संबंधित केंद्रीय रेशम बोर्ड का एक ज्येष्ठ अधिकारी-सदस्य</p> <p>4. केंद्रीय रेशम बोर्ड के प्रशासन से एक ज्येष्ठ अधिकारी-सदस्य</p> <p>(II) विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित शामिल हैं।</p> <p>1. अध्यक्ष, केंद्रीय रेशम बोर्ड और उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, केंद्रीय रेशम बोर्ड - अध्यक्ष</p> <p>2. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के उत्कृष्ट वैज्ञानिक-सदस्य</p> <p>3. सदस्य सचिव, केंद्रीय रेशम बोर्ड- सदस्य</p> <p>4. प्रशासनिक मंत्रालय में निदेशक या उप सचिव- सदस्य</p> <p>5. किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय या भारतीय प्रबंधन संस्थान से संबंधित विषय में प्रोफेसर - सदस्य,</p> <p>6. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित केंद्रीय रेशम बोर्ड या राज्य सरकार का एक ज्येष्ठ</p>	
--	---	--	---	--

			<p>के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>अधिकारी (यदि समिति के अन्य सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित नहीं हैं)।</p> <p>(III) प्रतिनियुक्ति द्वारा पद भरने के लिए चयन समिति:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. सदस्य सचिव, केंद्रीय रेशम बोर्ड-अध्यक्ष:</li> <li>2. प्रशासनिक मंत्रालय में निदेशक या उप सचिव- सदस्य</li> <li>3. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित केंद्रीय रेशम बोर्ड का एक ज्येष्ठ अधिकारी - सदस्य:</li> <li>4. केंद्रीय रेशम बोर्ड के प्रशासन से एक ज्येष्ठ अधिकारी - सदस्य</li> </ol> <p>टिप्पणी:</p> <p>प्रतिनियुक्ति के माध्यम से उम्मीदवारों के चयन का तरीका चयन समिति द्वारा तय किया जाएगा</p>
--	--	--	---	---

[फ.सं. एस-25012/01/2021-रेशम]

जे.के.डोरा, अवर सचिव

## MINISTRY OF TEXTILES

### NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 2022

**G.S.R. 312(E).**—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948) and in supersession of the Central Silk Board (Consolidated) Recruitment Rules, 1989, in so far as it relates to the post of Director, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director in the Ministry of Textiles, Central Silk Board, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Textiles, Central Silk Board, Director (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of the said post, its classifications and level in the pay matrix attached hereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission and relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

### SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Director.	10* (2022) * Subject to variation dependent on work load.	Group 'A', Non-Ministerial.	Level -13 in the pay matrix (Rs.123100-215900).	Selection.	Not exceeding fifty years of age. (Relaxable for the Government servants upto the age of five years in accordance with the instruction or orders issue by the Central Government).  <b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti	<b>Essential:</b> A Doctorate degree in Entomology or Zoology or Agriculture or Botany or Sericulture or Biochemistry or Biotechnology or Microbiology or Forestry or Fiber Science or Textiles from a recognised University with a minimum of twelve years research experience out of which five years should be in the capacity of Scientist-D, level-12 in the pay matrix (Rs.78800-209200).  <b>Note:</b> The particular field in which Doctorate degree is required or the experience is required will be specified each time a vacancy is notified. In case the candidates possessing Doctor of Philosophy in any other subject or specialisation apply for the post, equivalence of the said subject or specialisation with

					<p>District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.</p>	<p>the subject or specialisation advertised shall be verified from the concerned University or organisation which has issued the certificate.</p> <p><b>Note 1:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2:</b> The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>
--	--	--	--	--	---	---

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled up by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<p>Age : Not applicable for promotees.</p> <p>Qualifications : Applicable for promotees.</p>	<p>One year for direct recruitment.</p> <p><b>Note:</b> There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.</p>	<p>(i) fifty per cent. by promotion; and (ii) fifty per cent. by direct recruitment failing which by deputation/absorption from the Central Government or State Governments.</p> <p><b>Note 1:</b> The method of selection of candidates for the post of Director under fifty per cent. direct recruitment quota shall be decided by the Selection Committee which shall include personal interview.</p> <p><b>Note 2:</b> The post vacated by the promotee shall be filled by departmental promotion and the post vacated by the direct recruits shall be filled by direct recruitment. However, in exigencies, switching over of the post from direct recruitment to departmental promotion and from departmental promotion to direct recruitment can be allowed by the administrative Ministry without affecting fifty per cent. ratio.</p>	<p>Promotion: From among the Scientist-D with five years regular service in that grade. (Scientist-D to be eligible for promotion should have acquired Doctor of Philosophy degree in any of the subjects prescribed for direct recruits in column number (7), for consideration by the Departmental Promotion Committee).</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation: Officers of the Central Government or State Government or Union territories or statutory or autonomous organisations</p>	<p>(I) Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Member Secretary, Central Silk Board - Chairman;</li> <li>2. Director or Deputy Secretary in the Administrative Ministry - Member;</li> <li>3. A Senior Officer of Central Silk Board belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe Community - Member;</li> <li>4. A Senior Officer of Central Silk Board from the Administration - Member.</li> </ol> <p>(II) Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairman, Central Silk Board and in his absence Vice-Chairman, Central Silk Board - Chairman;</li> <li>2. An Eminent Scientist from Indian Council of Agricultural Research</li> </ol>	<p>Not applicable.</p>

			<p>or public sector undertakings or Universities or recognised research institutes functioning under the Central Government or State Government or Union territories,-</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on a regular basis; or</p> <p>(ii) with five years of regular service in level-12 in the pay matrix (Rs.78800-209200) or equivalent, and</p> <p>(b) possessing a Doctorate degree in Entomology or Zoology or Agriculture or Botany or Sericulture or Biochemistry, Biotechnology, Microbiology, Forestry, Fiber Science or Textiles from a recognised University.</p> <p><b>Note 1:</b> The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of applications.</p>	<p>or Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi - Member;</p> <p>3. Member Secretary, Central Silk Board - Member;</p> <p>4. Director or Deputy Secretary in the Administrative Ministry - Member;</p> <p>5. A Professor in the relevant subject from a reputed University or Indian Institute of Management - Member;</p> <p>6. A Senior Officer of Central Silk Board or State Government belonging to Scheduled Castes or the Scheduled Tribes community (If other Members of the Committee do not belong to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe community).</p> <p>(III) Selection Committee for filling up of the post by deputation:-</p> <p>1. Member Secretary, Central Silk Board - Chairman;</p> <p>2. Director or Deputy Secretary in the Administrative Ministry - Member;</p> <p>3. A Senior Officer of Central Silk Board belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe Community - Member;</p> <p>4. A Senior Officer of Central Silk Board from the Administration - Member.</p> <p><b>Note:</b> The manner of selection of candidates through deputation shall be decided by the Selection Committee.</p>
--	--	--	---	--

[F.No. S-25012/01/2021-Silk]

J.K. DORA, Under Secy.